संपादक मंडल

श्री दिनेश कुमार नायक (सदस्य सचिव)
श्री आनंद कुमार तिवारी (उपसचिव)
सुश्री पूनम तिवारी (जिला विधिक सहायता अधिकारी)

सहयोग

श्री राजेश सक्सेना (जिला विधिक सहायता अधिकारी)
श्री मनीष कौशिक (जिला विधिक सहायता अधिकारी)
सुश्री गुरप्रीत कौर (निज सहायक)
श्री अमृतलाल पटेल (सहायक ग्रेड–3)
श्री अंशुल पटेल (सहायक ग्रेड–3)
श्री सचिन गोस्वामी (सहायक ग्रेड–3)
जफर इकबाल (सहायक ग्रेड–3)
श्रीमती भारती पासी (सहायक ग्रेड–3)

हर विवाद का यही परिणाम,
समय, शक्ति, और धन का नुकसान।

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

न कोई जीता, न कोई हारा,
लोक अदालत में हुआ निपटारा।

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR
574, South Civil Lines, Jabalpur Pin 482001

Designed & Printed by The GRENADIERS Association Printing Press, Jabalpur, Ph.: 0761-2620184, Mob.: 09425151241, E-mail : gagrc@hotmail.com. ISO 9001:2008

News Letter

January - June 2016

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

PUBLISHED BY

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR
574, South Civil Lines, Jabalpur Pin 482001
Ph. No. 0761 - 2678352, 2624131, Fax : 0761-2678537 Email : mplsajab@nic.in
Website : www.mpslsa.nic.in
National Free Legal Helpline : 15100

Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Jabalpur

As per the order of Hon'ble Chief Justice High Court of M.P. and Patron-in-Chief, MPSLSA and under the direction of Main Mediation Monitoring Committee, High Court of M.P. the Regional Conference of 28 districts falling under Jabalpur zone was organized on Mediation by M.P. State Legal Services Authority at Hotel Gulzar Towers, Jabalpur. Simultaneously Scheme of M.P. High Court Middle Income Group Legal Aid Society was also inaugurated on 20.02.2016.

The Chief Guest of the Conference was Hon'ble Shri Justice A.M. Khanwilker, Chief Justice, High Court of M.P. Hon'ble Shri Justice Rajendra Menon, Executive Chairman, MPSLSA grace the function as Special Guest of the Conference. Hon'ble Shri Justice Sanjay Yadav, Chairman, MMMC and Hon'ble Shri Justice S.C. Sharma, Member MMMC also shared the dais as Special Guest of the conference.

In addition to this, Hon'ble Judges of M.P. High Court, Advocate General, Registrar General, Principal Secretary, Department of Law Govt, of M.P., Director JOTRI, Registry Officers, Member of MPSLSA, Member of Middle Income Group Legal Aid Society, Judges of Sub-ordinate Judiciary, various Officials of Bar Councils, Officials of various Government departments, Members of various Mediation Monitoring Committees and Officers & Employees of MPSLSA were also present in the Conference.

In this Conference, Hon'ble Portfolio Judges, District Judges, Coordinators, Members of Monitoring Committees of all 28 districts falling under Jabalpur zone were the main participants.

Hon'ble Shri Justice Sanjay Yadav, Chairman, Main Monitoring Committee has delivered welcome address. His Lordship enumerated contribution of Hon'ble the Chief Justice for formulation of High Court of M.P. Middle Income Group Legal Aid Scheme. His Lordship also conducted interactive session with the Speaker , Best Referral Judges and Mediators.

Hon'ble Shri Justice Rajendra Menon, Executive Chairman, MPSLSA delivered introductory address on the scheme of Middle Income Group Legal Aid Society which is propounded by High Court of M.P. addressing on the Scheme, Justice Menon, reiterated that this society will be formulated and J initiative by Hon'ble the Chief Justice A.M. Khanwilker. Justice Menon stated that the vision of our Chief Justice is to ensure proper legal assistance to the litigants of a Group i.e. Middle Income Groups which is classified as persons whose income is less then Rs. 9 Lacks per annum, will be beneficiaries of this legal aid scheme. Hon'ble lordship further stated that it will be the endeavor of the society to ensure that the purpose for which the society is formulated is fulfilled.

Hon'ble Shri Justice A.M. Khanwilker has addressed as Chief Guest of the Conference that Mediation activities increased reasonably weii in 2015 as compared to previous year 2014. After Supreme Court M.P. is the first which formulated the module of Middle Income Group Scheme and Bench Mark has been fixed for betterment of the Middle Income Group. Moderation of fees till final hearing is fixed in the scheme at the same time the advocates also who have particular nature of cases but who don't have versatile cases are

also get benefit of the scheme. Hon'ble Chief Guest stated that it is also a win-win situation and it comes under affordable justice.

Hon'ble the Chief Justice has stated that at present and in future programms in Mediation are worth praising. Hon'ble the Chief Justice has praised the Mediation activities which are working as per the Action Plan on Mediation. He also praised the increased no. of references which are achieved within two years are fabulous. Lordship stated that Mediation module of M.P. is appreciated nationwide within very short period of time percentage of settlement is more than 34. At present nearly 98% Judicial officers have received 40 Hrs Mediation/Referral Judge training. Hon'ble Lordship opined that the motto of the conference is valuate the achievements which we have received in past and find the reason behind the failure

The Conference was organized in three Sessions. As per the work done in the year 2015 on Mediation the felicitation prizes of three categories namely - Best Referral Judge-Smt. Radha Sonkar DJ. Katni & Shri Devi Lai Soniya, C.J. Class-I, Harda Best Judge Mediator- Shri Jaiprakash Singh. A.D.J. Chhatarpur and Best Advocate Mediator Sushree Manju Verma, Advocate, Jabalpur were conferred by Hon'ble Chief Justice, High Court of M.P.

On the occasion, Best Referral Judge, Best Judge Mediator, Best Advocate Mediator and Mediation Coordinators of 28 districts expressed their vast experience and views on the given topics. On the basis of the same interactive sessions were concluded.

In this conference various discussions on Mediation Process, comparative study on various issues related to Mediation activities to discuss the best practices to be followed by the Mediators and also shared the success stories to motivate and inspire the stakeholders of Mediation process, were held in conference.

In the conference Tele Film and Role Play on Mediation were also shown.

At last valedictory Session took place under the Chairmanship of Hon'ble Judges of M.P. High Court in which resolution and policy were passed to make the mediation activities more effective and successful in the year 2016.

Shri Dinesh Kumar Naik Member Secretary, MPSLSA expressed his gratitude and vote of thanks to all Hon'ble dignitaries and Officers who have participated in the Conference. The programme was conducted by Shri Anand Kumar Tiwari, Deputy Secretary, MPSLSA.

आदिवासियों हेतु विशेष रूप से आयोजित वृहद विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर ग्राम-चीचली, जिला-नरसिंहपुर

दिनांक 30 जनवरी 2016, दिन शनिवार

जिला नरसिंहपुर के चीचली विकासखण्ड में दूरस्थ पहाड़ी एवं ग्रामीण अंचलों में फैले हुए सतपुड़ा की पहाड़ियों पर लगभग 20 गांवों में भारिया जाति आदिवासी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं जिनका जीवन सरल एवं सादा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में पहुंच पाना बड़ा कठिन था किंतु जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर की पहल से आदिवासियों को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया गया है। बड़ागांव, ततैया, हतोर, कुकड़ीपानी, पटकना, सतपुड़ा पर्वत पर 8000 फुट की ऊँचाई पर बसे हैं। जहां पर आज से 15 वर्ष पूर्व शिक्षा का अभाव था परंतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी गांवों में प्राथमिक शिक्षा हेतु शाला भवन बनाया गया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पीने के पानी हेतु कुओं का निर्माण किया गया और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में बालक/बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया। विद्यालय खुलने से आदिवासी क्षेत्र के छात्र-छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर शिक्षित नागरिक बने हैं और वर्तमान में पहाड़ी अंचल के ये शिक्षित बच्चे अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित सुनिश्चित हुआ एक वृहद विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से 30 जनवरी 2016 को किया जाना। इस सिलसिले में तैयारी दिसम्बर 2015 से प्रांरभ की गयी। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश एवं जिला कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा संयुक्त रूप से

आदिवासी इलाके का दौरा करके चीचली में शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया और तत्पश्चात् जिला प्रशासन ने म.प्र. शासन की समस्त लोक कल्याणकारी, हितग्राही मूलक योजना के शत् प्रतिशत् पात्र हितग्राहियों को चयनित करने का कार्य किया जिनको किसी कारणवश योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया था इस कार्य के लिए जिला प्रशासन के निचले स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा नियुक्त पैरा लीगल वॉलेन्टियर की टीम को आदिवासी क्षेत्र में सर्वे करने एवं योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को चिन्हित करने का दायित्व सौंपा गया। शिविर को सफल बनाने हेतु विभिन्न तिथियों में जिला न्यायाधीश एवं कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा तहसील गाडरवारा के राजस्व अधिकारियों की बैठक की गयी। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में विकासखण्ड चीचली सांईखेड़ा में अधिकारी कर्मचारी नगर पालिका, नगर परिषद में सी.एम.ओ. एवं प्रतिनिधि सदस्य की बैठक किया गया। इसी तारतम्य में आदिवासी ग्रामीण इलाके ग्राम बनवारी, गोटीटोरिया, बरिया बड़ा गांव में अलग अलग तिथियों में स्वास्थ्य एवं विकलांग शिविरों का आयोजन कर पात्र हितग्राहियों की खोज डॉक्टर्स की मेडिकल टीम ने किया उन्हीं पात्र हितग्राहियों को विभिन्न प्रकार के वृहद विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में बांटे गए तथा इसी प्रकार वृहद साक्षरता शिविर के व्यापक एवं सफल आयोजन की तैयारी इस शिविर में की गयी।

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन, प्रशासनिक न्यायाधीश म.प्र. उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सदस्य सचिव श्री दिनेश नायक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उपसचिव श्री आनंद कुमार तिवारी म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री रविश चंद्र अग्रवाल एडवोकेट जनरल म.प्र. शासन के साथ श्री कमलजीत वाधवा अतिरिक्त एडवोकेट जनरल, श्री पुष्पेन्द्र कौरव अतिरिक्त एडवोकेट जनरल एवं एडवोकेट जनरल म.प्र. शासन के अन्य सभी विधिक अधिकारी उपस्थित हुए। शिविर में कलेक्टर श्री नरेश पाल, पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश श्रीवास्तव, जिला पंचायत नरसिंहपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री पाल, गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय

विधायक श्री गोविंद सिंह पटैल, एन.टी.पी.सी. गाडरवारा के जी.एम. रामकुमार, जिला न्यायाधीश श्री आर. के. ए. गौतम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विकास शर्मा सहित न्यायिक अधिकारी एवं जिला अधिवक्ता संघ नरसिंहपुर एवं तहसील अधिवक्ता संघ गाडरवारा के विधि अधिकारी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित थे।

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन प्रशासनिक न्यायाधीश म.प्र. उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ने शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश आर.के.एस. गौतम द्वारा माननीय न्यायमूर्ति सहित उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों हितग्राहियों एवं आम जनता का स्वागत किया गया तथा सदस्य सचिव श्री दिनेश नायक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम एवं योजनाओं से अवगत कराया, कलेक्टर श्री नरेश पाल द्वारा म.प्र. राज्य शासन की जनकल्याण योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया । मुख्य अतिथि की हैसियत से माननीय, न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन ने कहा कि लोगों को सुलभता से न्याय प्राप्त हो, कोई भी न्याय से वंचित न रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण नि:शुल्क विधिक सहायता पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराता है तथा जरूरतमंदों को प्राधिकरण की ओर से वकील की सहायता एवं नि:शुल्क विधिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

वृहद विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर चीचली में जिला प्रशासन के सहयोग से म.प्र. राज्य शासन की योजनाओं का लाभ 2118 हितग्राहियों को दिया गया जिसमें मुख्य रूप से मुख्य मंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय इंद्रा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना एवं बी.पी.एल. कार्ड प्रदान किया गया।

मध्यप्रदेश में नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र

जिला - रतलाम

जिला रतलाम में नवनिर्मित ए.डी.आर. भवन का लोकार्पण करते हुए माननीय न्यायाधिपति श्री आलोक वर्मा जी एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम।

आज के इस बदलते परिवेश में मानव जीवन की सुख-सुविधाओं में वृद्धि हुयी है। इसके साथ ही विवादों में भी वृद्धि हुयी है। न्यायालय एवं प्रशासन तंत्र के निरंतर प्रयासों के बावजूद भी इन विवादों की संख्या घटने के बजाय दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नित नवीन प्रकार के विवादों के उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप न्यायालयों में मुकद्दमों की संख्या बढ़ती जा रही हैं। इन बढ़ते मुकदमों के कारण न्यायालयों पर निराकरण का भी बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते मुकदमेबाजी की वजह से आमजन को होने वाली समय, धन एवं शक्ति की हानि से बचाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीकों को व्यापक रूप से प्रयोग किया जाना आवश्यक है। मध्यस्थता की यह प्रणाली नई नहीं है, परंतु आज के परिवेश में समय, शक्ति एवं धन की बचत कर पक्षकारों को लाभांवित किये जाने में यह प्रणाली अत्यंत प्रासंगिक है।

वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीकी को दिवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में लोक अदालत, सुलह, माध्यस्थतम् एवं मध्यस्थता के रूप में परिभाषित किया गया है।

वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र ऐसा केन्द्र है जिसमें दिवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में उल्लिखित लोक अदालत, सुलह, माध्यस्थतम् एवं मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निराकरण करते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। मध्यप्रदेश राज्य में 13 वें वित्त आयोग के अधीन निर्मित यह ए.डी.आर. सेन्टर पक्षकारों को न्यायालयीन दबावों से दूर एक ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराता हैं, जहां पर पक्षकार निर्भय होकर उन्मुक्त एवं सहज वातावरण में आपसी समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निपटारा करा सकते है। इस केन्द्र में लोक अदालत एवं मध्यस्थता जैसी नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद समाधान की सभी प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग किया जा सकता है। इन केन्द्रों के लोकार्पण से जिलों में पक्षकारों के बैठकर बात-चीत करने हेतु आवश्यक स्थान की उपलब्धता सुलभ होगी। जिससे वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीकों के माध्यम से प्रकरणों के निपटारे की संख्या में निश्चित ही उत्तरोत्तर वृद्धि संभावित होगी एवं अधिक से अधिक संख्या में आमजन लाभांवित हो सकेंगे।

मध्यप्रदेश में नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र
जिला – रीवा, मध्यप्रदेश

जिला रीवा में नवनिर्मित ए.डी.आर. सेंटर का लोकार्पण करते हुए माननीय न्यायाधिपति श्री सुजय पाल एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा।

मध्यप्रदेश में नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र
जिला – रायसेन, मध्यप्रदेश

जिला रायसेन में नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र का लोकार्पण करते हुए माननीय न्यायाधिपति श्री जे.पी. गुप्ता एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन।

मध्यप्रदेश में नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र

जिला – टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

जिला टीकमगढ़ में नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र का लोकार्पण करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री एच.पी.सिंह एवं माननीय न्यायाधीश, टीकमगढ़।

मध्यप्रदेश में नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र

जिला – होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

जिला होशंगाबाद में नवनिर्मित ए.डी.आर. सेंटर का लोकार्पण करते हुए माननीय न्यायाधिपति श्री संजय यादव एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद।

मध्यप्रदेश में नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (ए.डी.आर. सेंटर)

जिला – झाबुआ, मध्यप्रदेश

विधिक साक्षरता शिविर

जिला – मण्डलेश्वर, मध्यप्रदेश

जिला मंडलेश्वर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में वृद्धजनों से संबंधित कानूनों की जानकारी देते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जिला मंडलेश्वर

Simhastha-2016, Ujjain (M.P.)

Simhastha is the great bathing festival of Ujjain. It is celebrated in a cycle of twelve years when Jupiter enters the Leo sign of the zodiac, known as Simha Rashi. Ceremonial bathing in the hold waters of Kshipra begin with the full moon day of Chaitra and continue in different intervals throughout the successive month of vaishakha culminating on the full moon day. Tradition calls for ten different factors to be located for the grand festival at Ujjain. According to the Puranas, the legendary churning of the ocean by the Gods (Dewas) and Demons (Danavas) yielded, amongst other things, a Jar (Kumbha) full of nectar (Amrita). Gods did not like to share it with Demons. At the instance of Indra, the master of Gods, his son Jayanta tried to run away with the Jar and was naturally followed by some of the Demons.

It was well known to all that there was an event of Simhastha, 2016 had to be organized in District Ujjain (M.P.) from 22nd of April to 21st of May, 2016 and it was expected that more than 2-3 Crore of devotees might be visited the event/festival of Simhastha, 2016. An amount of Rs. 8,10,000/- for promotion and Publicity of Legal Aid Services during the month of Simhastha, 2016 were sanctioned by Madhya Pradesh legal Services Authority, Jabalpur. Out of above Rs. 8,10,000/-, the total expenses of legal literacy camp was approximately Rs. 6,00,000/- (Rs. Six Lakhs). The legal literacy and awareness camp organized by the Legal Services Authority, Ujjain was established in Simhastha Area and it was very well ready to serve the public on the beginning day of Simhastha i.e. 22nd of April, 2016. Not only the Camp of District Legal Services Authority, Ujjain but Juvenile Justice Board Camp and CWC Camp were also Established adjacent to the Camp of Legal Services Authority, Ujjain, although the cost and expenses to establish the Camp of Juvenile Justice Board and CWC were borne by the MP State Govt.

In the guidance , Supervision and under directions time to time from Hon'ble portfolio Judge Justice Sh. Prakash Shrivastava and Hon'bel Justice Sh. J.P. Gupta, to make fruitful the Aim and object of District Legal Services Authority and to promote the schemes of Legal Aid as well as to facilitate the people, the District Judge/President of District Legal Services/Authority, Ujjain, Sh. S.K. Singh had Set-up a team comprising Judicial officer, District legal aid officer, Advocates and Para Legal Volunteer NGO' who worked Hard for the publicity and promotion of legal aid Services during whole the month of Simhastha, 2016. Almost 85000 pamphlets were distributed to the people during the one month of Simhastha, 2016.

The Places are:-

1-Bhukti Mata Ghat, 2- Ram Ghat, 3-Datt Akhara Ghat, 4-Jhulelal Ghat, 5- Gurudwara Ghat, 6-Mangalnath Ghat, 7-Narsingh Ghat, 8-Singhu Ghat

S.No.	Awareness of People through pamphlets	Awareness of People through Loudspeaker	Total Beneficiary
1.	85,000	1,77,000	2,62,000

The camp was an attraction for the people came from various States- Mumbai, Delhi, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharastra, Uttar Pradesh, Bihar, Uttranchal, Goa, who narrated their problems just because of lack of knowledge and resource. One some women came in the Camp belongs to Mumbai and made clear their doubts about the law related to Women empowerment & Protection of women from Domestic Violence Act, Maintenance laws, victim compensation schemes. It was also explained them that how and under what circumstances, criteria and eligibility in which they can get the services of free legal aid within the ambit of Legal Service Authority Act, 1987.

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY JABALPUR

Information of Settled Cases Through Mediation (January, 2016 to June 2016)

S. No.	Calender Year	Opening balance (A)	No. of cases referred (B)	Total (A+B)	Settled Cases: Successful Settled Cases (C)	Settled Cases: Unsuccessful Settled Cases (D)	Settled Cases: Total Considered Cases (C+D)	Total Pending cases	% successful Settled cases
1	2016 Jan to June, 16	10885	33925	44810	14752	19787	34539	10271	42.71

विधिक सा. शिविर		माइक्रो ली. लि. शिविर		मनरेगा वि. सा. शि.		मजिस्ट्रेट न्याया.		पारिवारिक वि. स. केन्द्र	
शि. संख्या	लाभा.	शि. संख्या	लाभा.	शि. संख्या	लाभा.	सौंपे गये प्रकरण	लाभा.	निराकृत	लाभा.
2531	286163	143	15275	48	4560	181	818	265	380

Statistical Information January - June 2016

Lok Adalatas

S. No.	Types of Lok Adalat	No. of Lok Adalat Held on	Total Taken Up Cases	Total Disposed off Cases	Total Benefited Person	Total Settlement amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Monthly National Lok Adalat (for Special Subject/Matters)	4	363806	144178	220744	1268446612
2	Permanent and Continuous Lok Adalat (u/s 19)	778	69743	10398	14965	267172833
3	MNREGA Lok Adalat	29	101	101	101	0
4	Jail Lok Adalat	13	33	101	101	0
5	Mobile/Field Lok Adalat	115	3231	500	1205	501384
6	Cases settled through Plea-Bargaining	-	109	104	106	501384
	Permanent Lok Adalat for Public Utilities Services (u/s 22B)	151	2559	251	284	160000
	Total	1090	439582	155562	237437	1536280829

विधिक साक्षरता, लघु विधिक साक्षरता एवं मनरेगा साक्षरता शिविर योजनाओं की जानकारी

	शिविर संख्या			लाभान्वित व्यक्ति					अजा	अजजा	व्यय राशि
	जिला वि. से.प्रा.(अ)	तहसील वि. से.स.(ब)	कुल (अ+ब)	जिला (क) पुरूष	जिला (क) महिला	तहसील (ख) पुरूष	तहसील (ख) महिला	कुल (क+ख)			
विधिक साक्षरता शिविर	1471	1060	2531	114843	47099	82826	41395	286163	27849	26312	90602
लघु विधिक साक्ष. शिविर	69	74	143	3318	1861	6768	3328	15275	1908	1260	0
मनरेगा विधिक सा.शिविर	38	10	48	2263	846	919	532	532	418	336	0

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना की जानकारी

अधिवक्ता को सौंपे गये प्रकरण					लाभान्वित व्यक्ति					व्यय राशि
अजा	अजजा	पि.व.	सामा.	योग	अजा	अजजा	पि.व.	सामा.	योग	
118	93	237	370	818	118	94	236	370	818	49825

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना की जानकारी

निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या					लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या					माह की बैठक संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या	व्यय संबंधी विवरण		
अनु. जाति	जन जाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग	अनु. जाति	जन जाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग			सदस्यों को भुग. राशि	अन्य	कुल व्यय
55	59	121	30	265	89	76	166	49	380	57	59	16000	0	16000

विधिक सहायता/सलाह योजना

विधिक सहायता स्वीकृत प्रकरणों की संख्या					विधिक सलाह स्वीकृत प्रकरणों की संख्या					कुल व्यय
SC	ST	OBC	GN	Total	SC	ST	OBC	GN	Total	
930	766	1032	997	3725	920	744	1054	993	3711	0